बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक–सं0सं0–रे0 / यो0 वि0 अंगीभूत योजना–02 / 18 1398 पटना, दिनांक– 28-03-18

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार(ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार *

विषय :– अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना के तहत् वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में जीविका के माध्यम से अंडी रेशम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वन के लिए कुल राशि रू0 2,20,50,000 / – (दो करोड़ बीस लाख पचास हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में जीविका के माध्यम से अंडी रेशम विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वन के लिए कुल राशि रू0 2,20,50,000 / – (दो करोड़ बीस लाख पचास हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है। कार्यक्रमवार विवरणी निम्नवत है :–

(राशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	कार्यक्रम	भौतिक लक्ष्य	इकाई लागत	कुल लागत
1	आधा एकड़ में अंडी की खेती वाले कृषकों को कीटपालन उपस्कर की आपूर्ति (100%)	200	6250	12.50
2	कीटपालन गृह निर्माण के लिए सहायता (100%)	200	100000	200.00
3	प्रशिक्षण (100%)	200	3500	7.00
4	अध्ययन भ्रमण (100%)	40	2500	1.00
				220.50

(कुल रू0 दो करोड़ बीस लाख पचास हजार मात्र)

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि रू0 2,20,50,000 / – (दो करोड़ बीस लाख पचास हजार) मात्र का व्यय मुख्यशीर्ष– 2851– ग्राम तथा लघु उद्योग, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0105 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना रेशम का विकास, विपत्र कोड–23- 2851007890105 के अन्तर्गत विषय शीर्ष –0105.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण मद से रू0 2,12,50,000 / – (दो करोड़ बारह लाख पचास हजार) मात्र एवं विषय शीर्ष 0105.20.03 प्रशिक्षण व्यय से रू0 8,00,000 / –(आठ लाख) मात्र विकलित होगा। इसके लिए यथेष्ट उपबंध प्राप्त है।

3. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन से एकमुश्त अग्रिम के रूप में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना के पक्ष में की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 एवं 177 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इस योजना का कार्यान्वयन जीविका द्वारा किया जाएगा। जीविका अपने Procurrement Guidelines के अनुसार सामग्रियों का क्रय करेगा।

5. इस योजना की स्वीकृति प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका के साथ दिनांक 10.08.2017 को संपन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में अंडी रेशम विकास की एक पायलट परियोजना के लिए की जा रही है।

M/Rajyadesh

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना होंगे। वे सहायक उद्योग निदेशक (रे0), पटना के माध्यम इस योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।

7. यह राज्यादेश संचिका संख्या– रे0/यो0 वि0 अंगीभूत योजना–02/18 के पृष्ठ 13/टि0 पर दिनांक 27.3.2018 को प्राप्त आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

8. राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभागीय पत्रंक 2561 दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राशि की अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 वि0 अंगीभूत योजना–02/18 1398 *पटना, दिनांक*– 28-03-18

प्रतिलिपि– सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 वि0 अंगीभूत योजना–02/18 1398 *पटना, दिनांक*– 28-03-18

प्रतिलिपि– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/महप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–. रे0/यो0 वि0 अंगीभूत योजना–02/18 1398 *पटना, दिनांक*– 28-03-18

प्रतिलिपि– व्यय विवरणी के साथ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, ह०रे०, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/योजना शाखा, उद्योग विभाग/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को तथा आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।